He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) / PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2001/आषाढ़ 7, 1923

No. 332]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2001/ASADHA 7, 1923

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 फरवरी, 2001

सं. फेमा 39/2001-आरबी

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और निवासी व्यक्ति को भुगतान

सा. का. नि. 483 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा/16/आरबी-2000 के आंशिक संशोधन में (इसके पश्चात् 'उक्त अधिसूचना' के रूप में उल्लिखित) रिजृर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार तत्काल संशोधन किये जाएं, यथा :—

पैरा 3, में ''पूर्णकालिक निदेशक'' शब्दों के पूर्व ''गैर'' शब्द जोड़ा जाए।

[सं. एफ. 1/23/EC/2000]

डी. पी. सारडा, कार्यपालक मिदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th February, 2001

No. FEMA/39/2001-RB

Receipt from, and payment to, a person resident outside India

G. S. R. 483 (E).—In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA/16/RB-2000 dated 3rd May, 2000 (hereinafter referred to as 'the said Notification'), the Reserve Bank hereby directs that the said Notification shall with immediate effect be amended as under, namely:—

In paragraph 3, word "non" shall be inserted before the words "whole time director".

[No. F. 1/23/EC/2000]

D.P. SARDA, Executive Director